रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244616
CG-DL-E-23032023-244616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1334]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945
No. 1334]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

का.आ. 1387(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 28 नवम्बर, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 5513(अ), तारीख 24 नवम्बर, 2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, गुजरात राज्य के वलसाड जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् ''द टाइम्स ऑफ इण्डिया'', तारीख 24 दिसम्बर, 2022 और ''संदेश'', तारीख 24 दिसम्बर, 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नही ंकिया गया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए वलसाड जिले में अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम – वलसाड

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण /गाटा संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हैक्टयर में	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	वलसाड	उमरगॉव	(1)सोलसुंबा	204 (नया)	कृषि	निजी	0.0351	कुसुमबेन रमेशभाई पटेल निपा रमेशभाई पटेल पत्नी अतुल पटेल
			(2) तुंब	714(नया)	कृषि	निजी	0.0500	चिंटूभाई मंगलभाई दोहरा सावलीबेन मंगलभाई दोहरा इंदूबेन मंगलभाई दोहरा माणिकीबेन बनिभाई दोहरा शुक्करभाई बनिभाई दोहरा लिलाबेन बनिभाई दोहरा जसंवतीबेन रडकाभाई दोहरा संजयभाई रडकाभाई दोहरा कमलाबेन छगनभाई दोहरा जितेशभाई छगनभाई दोहरा अजयभाई छगनभाई दोहरा मिनाबेन छगनभाई शैलेशभाई की पत्नी है, अनिता छगनभाई मुकेशभाई की पत्नी है ।
				101 (नया)	कृषि	निजी	0.0030	पाटीलबेन कुहयाभाई लडकाभाई की विधवा रडकीबेन कुहयाभाई दाभाडीया मरूबेन कुहयाभाई दाभाडीया माणिकबेन कुहयाभाई दाभाडीया

[फा. सं. 2023/एलएमएल–II/12/1/डब्ल्यू सी/2389]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2023

S.O. 1387(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 5513(E), dated the 24th November, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 28th November, 2022 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Valsad in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification was published in the daily local newspapers namely, "The Times of india" dated the 24th December, 2022 and "Sandesh" dated the 24th December, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas no objection has been received by Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railway 1989 Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the Act the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in Valsad district in the State of Gujarat.

Name of the District – Valsad

Serial Number	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey / Gut Number	Nature of land	Type of land	Area in Hectares	Name of the land owner/Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Valsad	Umbergaon	(1) Solsumba	204 (New)	Agriculture	Private	0.0351	Kusumben Rameshbhai Patel Nipa Rameshbhai Patel wife of Atul Patel.
			(2) Tumb	714 (New)	Agriculture	Private	0.0500	Chintubhai Mangalbhai Dohra Savliben Mangalbhai Dohra Induben Mangalbhai Dohra Mankiben Banibhai Dohra Shukkarbhai Banibhai Dohra Lilaben Banibhai Dohra Jashwantiben Radkabhai Dohra Sanjaybhai Radkabhai Dohra Kamalaben Chhaganbhai Dohra Jiteshbhai Chhaganbhai Dohra Ajaybhai Chhaganbhai Dohra Minaben Chhaganbhai is the wife of Shaileshbhai., Anita Chhaganbhai is the wife of Mukeshbhai.
				101 (New)	Agriculture	Private	0.0030	Patilben Widow of Kuhyabhai Ladkabhai Radkiben Kuhyabhai Dabdiya Maruben Kuhyabhai Dabdiya

								Manikben Kuhyabhai Dabdiya.

[F. No. 2023/LML-II/12/1/WC/2389]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA